

यू.पी. राज्य और अन्य

बनाम

नेत्र पाल सिंह और अन्य

21 अप्रैल, 2004

[वी.एन. खरे, सीजे,, एस.बी. सिन्हा और एस.एच. कापडिया, जे.जे.]

कानूनी अनुस्मारक नियमावली:

पैरा 7.06 - जिला शासकीय अधिवक्ता - कार्यकाल का नवीनीकरण - राज्य सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ताओं के कार्यकाल को नवीनीकृत करने से इनकार - उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उनके कार्यकाल को नवीनीकृत करने का निर्देश दिया - अभिनिर्धारित, दावेदारों ने लंबे समय से जिला शासकीय अधिवक्ता का पद धारण नहीं किया है - उनके द्वारा दायर रिट याचिका निष्फल हो जाने के कारण खारिज किया जाने योग्य है।

न्यायिक समीक्षा:

जिला शासकीय अधिवक्ता के कार्यकाल का नवीनीकृत करने से इंकार करने का राज्य सरकार का फैसला - न्यायिक समीक्षा - यू.पी. राज्य बनाम जौहरी मल\*, में उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति के संबंध में कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अपीलों का निस्तारण किया गया।

प्रत्यर्थागण उत्तर प्रदेश राज्य में जिला शासकीय अधिवक्ता थे। राज्य सरकार ने उनके कार्यकाल को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने उच्च न्यायालय के

समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं, जिसने राज्य सरकार को उनका कार्यकाल नवीनीकरण करने का निर्देश दिया। व्यथित होकर, राज्य सरकार ने वर्तमान अपीलें दायर कीं।

अपीलों का निस्तारण करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. प्रत्यर्थागण लंबे समय से जिला शासकीय अधिवक्ता के पद पर नहीं हैं इसलिए, इस स्तर पर, मामले की योग्यता में जाना उचित नहीं होगा क्योंकि सभी इरादे और उद्देश्य के लिए, प्रत्यर्थागण द्वारा दायर रिट याचिकाएं निष्फल हो गई हैं और इस प्रकार, खारिज किए जाने योग्य हैं। वे, हालाँकि, जब भी रिक्तियां उत्पन्न होती हैं, कानूनी अनुस्मारक नियमावली के तहत लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं।[553-बी-सी]

2. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति के सम्बन्ध में कानूनी सिद्धान्त इस न्यायालय द्वारा जौहरी मल\* के मामले में निर्धारित किए गए हैं, इन अपीलों में और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। [533-ई]

\*उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम जौहरी मल, [2004] 4 एससीसी 714, पर भरोसा किया।

हरपाल सिंह चौहान और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [1993] 3 एससीसी 552 और यू.पी. राज्य बनाम रमेश चंद्र शर्मा और अन्य, [1995] 6 एससीसी 527, उद्धृत।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2626-2635 ऑफ 1999

डब्ल्यू.पी. संख्या 1915(एमबी), 1499(एमबी), 1916(एमबी), 1925(एमबी), 1929(एमबी), 1934(एमबी), 1951(एमबी), 2029(एमबी) और 2963(एमबी) ऑफ 1998 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 8.2.99 से।

साथ में

सी.ए. संख्या 2635, 2636, 2637-38 ऑफ़ 2004

रवि प्रकाश मेहरोत्रा, गर्वेश काबरा, सुश्री दीप्ति, आर मेहरोत्रा, अशोक के.श्रीवास्तव, सुश्री रचना श्रीवास्तव, अशोक कुमार शर्मा, के.के. गुटपा, खवैरकपम नोबिन सिंह, आर.डी. उपाध्याय, कुंवर सी.एम. खान और राकेश के.शर्मा, पक्षकारों की ओर से उपस्थित।

न्यायालय का निर्णय एस.बी. सिन्हा, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया-

विशेष अनुमति याचिकाओं को अनुमति अनुदत्त की गई।

यू. पी. राज्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ की एक खंड पीठ के के निर्णय और आदेश दिनांक 8.2.1999 से व्यथित और असंतुष्ट होकर हमारे समक्ष अपील में है जिसके तहत और जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता के कार्यकाल के नवीनीकरण से इनकार करने के आदेश को अपास्त कर दिया गया।

इन दस अपीलों में प्रत्यर्थीगण के साथ-साथ 24 अन्य व्यक्तियों ने जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के रूप में अपने कार्यकाल को नवीनीकृत करने से इनकार करते हुए अपीलकर्ता द्वारा पारित आदेशों की वैधता पर प्रश्न उठाते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की।

रिट याचिकाकर्ता जिन्हें जिला शासकीय अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था, विभिन्न तिथियों पर अन्य बातों के साथ-साथ उनकी संबंधित रिट याचिकाओं में तर्क दिया कि यू.पी.राज्य ने उनके कार्यकाल को नवीनीकृत न करने में मनमाने ढंग से काम किया क्योंकि उनका प्रदर्शन जिला अधिकारी के साथ-साथ संबंधित जिला न्यायाधीश दोनों द्वारा संतोषजनक पाया गया था, जिसके संबंध में उन्होंने कानूनी

अनुस्मारक नियमावली के प्रावधानों के संदर्भ में सिफारिशें भी की थीं और इस मामले को ध्यान में रखते हुए प्रावधानों के विपरीत होने के कारण उनके कार्यकाल को नवीनीकृत करने से इनकार करने वाले आक्षेपित आदेश टिकाऊ नहीं थे।

दिनांक 8.2.1999 के आक्षेपित निर्णय के कारण, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अपीलार्थी के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि जिला न्यायालय में जिला शासकीय अधिवक्ता और अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता राज्य सरकार द्वारा एक सिविल पद पर नियुक्ति के बराबर नहीं होगी और यह केवल एक पेशेवर जुड़ाव है, लेकिन योग्यता के आधार पर व्यक्तिगत मामलों पर विचार करने के लिए आगे बढ़े। 24 रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने 10 रिट याचिकाओं को मामले की योग्यता के आधार पर स्वीकार किया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जिला अधिकारी के साथ-साथ जिला न्यायाधीश द्वारा प्रत्यर्थीगण का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया और इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनके नामों की सिफारिश की गई थी, राज्य सरकार उनके कार्यकाल को नवीनीकृत करने से इनकार नहीं कर सकती थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि निजी व्यक्तियों या किसी पार्टी की पेशेवर भागीदारी को राज्य द्वारा डीजीसी की नियुक्ति के साथ जोड़ना गलत होगा क्योंकि यह उतना स्वतंत्र नहीं है जितना कि किसी व्यक्ति या निजी व्यक्ति के संबंध में। तथ्य यह है कि यह जनता के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार है।

उच्च न्यायालय ने आगे राय दी कि राज्य की ओर से मनमानी और प्रमाणिक कार्रवाई को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। उच्च न्यायालय का यह भी विचार था कि हालांकि मुख्य रूप से यह राज्य का काम है कि वह जिला शासकीय अधिवक्ता के समग्र प्रदर्शन को देखे और इस प्रश्न पर अपना आंकलन करे कि किसी पदधारी का कार्यकाल नवीनीकृत किया जाना है या नहीं, लेकिन यह भी आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को

उसके प्रतिधारण के प्रयोजनों के लिए उसकी उपयुक्तता का निर्णय करने के लिए राज्य द्वारा जो मापदंड निर्धारित किए जाते हैं, वे उचित हों और मनमाने न हों।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश मेहरोत्रा अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत किया कि हरपाल सिंह चौहान और अन्य आदि बनाम यू.पी. राज्य, [1993] 3 एससीसी 552 और यू.पी. राज्य बनाम रमेश चंद्र शर्मा और अन्य, [1995] 6 एससीसी 527 मामलों में इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने एक त्रुटि की है क्योंकि उसने राज्य के विचारों के बजाय अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित करने की मांग की है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क होगा कि चूँकि जिला शासकीय अधिवक्ता कोई सिविल पद धारण नहीं करते हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके कार्यकाल के नवीनीकरण के मामले में उनके पास कोई कानूनी अधिकार है।

दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा, ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि अपीलार्थी की ओर से की गई कार्रवाई मनमाना थी और इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है।

इस न्यायालय ने अनुमति देते हुए दिनांक 26.04.1999 के एक आदेश द्वारा निर्णय के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। इस न्यायालय द्वारा पारित रोक के उक्त अंतरिम आदेश की पुष्टि दिनांक 31.01.2000 के एक आदेश द्वारा की गई थी। इसलिए, प्रत्यर्थीगण लंबे समय से जिला शासकीय अधिवक्ता के पद पर नहीं हैं। इसलिए, इस स्तर पर हमारे लिए मामले की योग्यता में जाना उचित नहीं होगा क्योंकि सभी इरादों और अभिप्राय के लिए, यहां प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर की गई रिट याचिकाएं निरर्थक हो गई हैं और इस प्रकार, खारिज किए जाने योग्य हैं। हालाँकि, जब भी रिक्तियाँ आती हैं,

वे लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में अपनी नियुक्ति के लिए कानूनी अनुस्मारक नियमावली के संदर्भ में आवेदन दायर कर सकते हैं।

हालाँकि, पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण ने ऐसे मामले में न्यायिक समीक्षा के दायरे के संबंध में प्रस्तुतियाँ दीं। यू.पी. राज्य और अन्य बनाम जौहरी मल, (सिविल अपील संख्या 963-964 ऑफ़ 2000) में इस न्यायालय की आज निस्तारित तीन न्यायाधिपतियों की पीठ ने ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा के दायरे पर विचार किया था।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति के संबंध में कानूनी सिद्धांत इस न्यायालय द्वारा जौहरी मल (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित किया गए हैं, हमारी राय है कि इसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अतः इन अपीलों का तदनुसार निस्तारण किया जाता है। हालाँकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

आर.पी.

अपीलों का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

**अस्वीकरण-** इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

\*\*\*\*\*